

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-5
संख्या-276/2015/4284/नौ-5-15-180सा/2015
लखनऊ : 10 अगस्त, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन (AMRUT-Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त योजना को योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रदेश के चयनित/पात्र नागर स्थानीय निकायों में क्रियान्वित किया जाना है। अतः योजना के प्रदेश में सफल क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक 'राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति' (State level High Power Steering Committee-SHPSC) का निम्नानुसार गठन किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
3	प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
4	प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
5	प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
6	प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
7	प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
8	प्रमुख सचिव/सचिव, वन विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य
9	शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य
10	मिशन निदेशक/निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, लखनऊ	सदस्य
11	प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ	सदस्य
12	निदेशक, सीएण्डडीएस, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ	सदस्य
13	निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	सदस्य
14	प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य सचिव

उक्त समिति अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन (AMRUT-Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) योजना के दिशा-निर्देशों के प्रस्तर-10.2 में वर्णित समस्त क्रिया-कलापों/दायित्वों का निर्वहन करेगी।

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव।

संख्या-²⁷⁶/4284(1)/नौ-5-15-180सा/2015 तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- (1) सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
 - (2) प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
 - (3) प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
 - (4) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/नियोजन/आवास एवं शहरी नियोजन/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/लोक निर्माण/परिवहन एवं वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
 - (5) शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के नामांकित प्रतिनिधि।
 - (6) निजी सचिव, सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
 - (7) मिशन निदेशक/निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
 - (8) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
 - (9) समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
 - (10) समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
 - (11) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
 - (12) निदेशक, सीएण्डडीएस, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
 - (13) निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
 - (14) नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग/गंगा सेल।
 - (15) गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,
(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।